

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 14.11.2020

लगभग 33 लाख रू0 कीमती 990 पेटी (47,520 शीशी) अवैध शराब व डीसीएम ट्रक के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

कल दिनांक 13.11.2020 को उ0नि0 रणेन्द्र सिंह मय एसटीएफ टीम, फील्ड यूनिट प्रतापगढ़ व थाना रानीगंज के व0उ0नि0 योगेश चतुर्वेदी मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र रानीगंज के विष्णुपुर कला मोड़ के पास से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से डीसीएम ट्रक में परिवहन कर ले जाये जा रहे 990 पेटी अवैध शराब (अनुमानित कीमत करीब 33 लाख रू0) बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

01. भगवान पुत्र रतन नि0 नाया थाना बड़वा जनपद खरगोन, मध्य प्रदेश।
02. अनिल यादव पुत्र स्व0 रामजियावन नि0 प्रेमराजपुर थाना सिकरारा जनपद जौनपुर।
03. इन्द्रसेन मनीष पुत्र रामकिशोर नि0 भरतपुर थाना सिकरारा जनपद जौनपुर।

फरार/प्रकाश में आये अभियुक्तों विवरण—

01. सतीश सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 मुजाहिन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
02. सचिन सिंह पुत्र अज्ञात नि0 अज्ञात।

बरामदगी—

- 01 990 पेटी अवैध शराब (बाम्बे स्पेशल व्हीस्की 180एमएल/कुल 47,520 शीशी)।
- 02 01 अदद डीसीएम ट्रक नं0 यूपी 70 सीटी 5929।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त भगवान द्वारा बताया गया कि यह शराब खरगोन मध्य प्रदेश से लादकर मैनेजर सचिन सिंह के कहने पर उनके द्वारा बताये स्थान पर लेकर आया था। गिरफ्तार अभियुक्त अनिल यादव द्वारा बताया गया कि इस गाड़ी में लदी अवैध शराब में सतीश सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 मुजाहिन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का 50 प्रतिशत शेयर है, हम तीनों लोग मिलकर यह अवैध शराब का कारोबार लगभग 5 वर्षों से कर रहे हैं, हम तीनों लोग मिलकर जो भी मुनाफा होता है उसे बराबर-बराबर बांट लेते हैं। अभियुक्तों द्वारा बताये गये अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 631/ धारा 419, 420, 467, 468, 471, भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम।

पुलिस टीम :-

01. उ0नि0 रणेन्द्र कुमार सिंह मय एसटीएफ टीम, फील्ड यूनिट प्रयागराज।
02. उ0नि0 योगेश चतुर्वेदी मय हमराह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

ट्रक में क्रूरतापूर्वक लादे जा रहे गोवंश के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार, 15 राशि गोवंश व एक ट्रक बरामद—

आज दिनांक 14.11.2020 को रात्रि करीब 02:30 बजे थाना रानीगंज से प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र रानीगंज के बुढौरा गौशाला पर दविस देकर एक ट्रक पर क्रूर तरीके से गर्दन को ऊंचाई पर बांध कर तथा पैरों को बांधकर क्रूरता पूर्वक लादे गये 12 गोवंश सहित 15 गाय एवं बछड़ों के साथ 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जबकि 04-05 अन्य अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 632/20 धारा धारा 420, 467, 468, 471 भादवि, 3/5क/8(1) गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुक्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

- 01 फैयाज उर्फ फरियादज उर्फ उदैन पुत्र मोहम्मद अली निवासी बुढौरा कुंभा पुर थाना रानीगंज प्रतापगढ़।
- 02 समीम पुत्र अयूब निवासी पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर।
- 03 मोहम्मद आजम उर्फ गुड्डू पुत्र अब्दुल मन्नान निवासी पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर।
- 04 भुल्लन पुत्र जब्बार निवासी बुढौरा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

फरार/प्रकाश में आये अभियुक्तों विवरण—

- 01 जावेद पुत्र सुभान निवासी करोंदिया थाना कोतवाली नगर सुल्तानपुर।
- 02 मेराज निवासी ग्राम रामदेव पट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
- 03 मैशाद पुत्र फैयाज उर्फ फरियाद उर्फ उदैन ग्राम बुढौरा कुम्भापुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
- 04 ट्रक मालिक व चालक नाम पता अज्ञात।

बरामदगी—

- 01 15 राशि गोवंश।
- 02 01 अदद ट्रक बिना नम्बर।

पुलिस टीम :- प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज तिवारी मय हमराह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

25 हजार रु0 का इनामिया लुटेरा अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद—

जनपद के थाना लालगंज से उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला मय हमराह व स्वाट टीम जनपद प्रतापगढ़ द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र लालगंज के रायपुर तियाई चौराहे के पास से मु0अ0सं0 336/19 धारा 392, 411 भादवि व मु0अ0सं0 387/19 धारा 392, 411 भादवि में वांछित 25 हजार रु0 का इनामिया अभियुक्त राकेश तिवारी पुत्र श्रीनाथ तिवारी नि0 खजुरनी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 799/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01 राकेश तिवारी पुत्र श्रीनाथ तिवारी नि0 खजुरनी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—

- 01 एक अदद तमन्चा 315 बोर।
- 02 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम—

- उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला मय हमराह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की मोटर साइकिल, अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद—

जनपद के थाना लालगंज से उ0नि0 वंशीधर राय मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र लालगंज के लोनी पुलिया लीलापुर के पास से एक अभियुक्त चेतन मिश्रा पुत्र धर्मराज मिश्रा नि0 गोपालापुर थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर को बिना नम्बर की एक अदद चोरी की स्प्लेण्डर प्लस मोटर साइकिल, एक अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 797/20 धारा 411 भादवि व मु0अ0सं0 798/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

- 01 चेतन मिश्रा पुत्र धर्मराज मिश्रा नि0 गोपालापुर थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी—

- 01 01 अदद स्प्लेण्डर मोटर साइकिल बिना नम्बर (चोरी की)।
- 02 01 अदद तमन्चा 12 बोर।
- 03 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पुलिस टीम—

- उ0नि0 वंशीधर राय मय हमराह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार —

- जनपद के थाना मान्धाता से प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार राय मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0— 82/20 धारा 147, 148, 149, 286, 307, 302, 504, 506 भादवि में वांछित अभियुक्त कलाम उर्फ कलामुद्दीन पुत्र कियामुद्दीन नि0 खरवई थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र मान्धाता के खरवई मार्ग से गिरफ्तार किया गया है।

- जनपद के थाना फतनपुर से उ0नि0 राम जनम पाण्डेय राय मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0— 268/20 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र पूर्णमासी नि0 जगनीपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को फतनपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया है।

- जनपद के थाना फतनपुर से उ०नि० राम जनम पाण्डेय राय मय हमराह द्वारा मु०अ०सं०— 270/20 धारा 147, 148, 452, 323, 504, 506, 308 भादवि में वांछित अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद चौबे पुत्र स्व० माताराज नि० बीरापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को बीरापुर से गिरफ्तार किया गया है।
- जनपद के थाना फतनपुर से उ०नि० राम जनम पाण्डेय राय मय हमराह द्वारा मु०अ०सं०— 271/20 धारा 147, 148, 452, 323, 504, 506, 327 भादवि में वांछित 02 अभियुक्त 01 लालमणि पाण्डेय 02. सुरेश चन्द्र पाण्डेय पुत्रगण अमरनाथ पाण्डेय नि०गण बीरापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को बीरापुर से गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 14.11.2020